रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 494] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 1997/अग्रहायण 25, 1919
No. 494] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 1997/AGRAHAYANA 25, 1919

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री (नाम परिवर्तन) संशोधित नियम, 1997 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 के नियम 3 के, उप नियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(ङ) जहां यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर का समूह है और कोई ऐसा अधिकारी, जो समूह का प्रधान है गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व किसी कैडेट के नाम आरक्षण को अन्य कैडेट के नाम में परिवर्तन करने का लिखित में निवेदन करता है।

परन्तु परिवर्तन के लिए कोई ऐसा अनुरोध केवल एक बार मंजूर किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में समूह की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा।"

[सं. 97/टी.जी.-1/20/पी]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 16 अगस्त, 1990 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 708 (ई) के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of the section 60 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (i) These rules may be called the Passengers (Change of Names) Amendment Rules, 1997.

(ii) The shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In rule 3 of the Passengers (Change of Names) Rules, 1990, in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

"(e) Where the passengers are a group of Cadets of National Cadet Corps and any officer who is the Head of the group makes a request in writing at least twenty four hours before the scheduled departure of the train that the reservation made in the name of any cadet be transferred to any other cadet;

Provided that any such request for change shall be granted only once;

Provided further that in no case such request for change in excess of ten per cent of the total strength of the group shall be granted".

[No. 97/TG.1/20/P]

D. P. TRIPATHI, Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 708 (E) dated the 16th August, 1990.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1990/श्रावण 25, 1912
No. 336] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1990/SRAVANA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1990

सा का.नि. 708 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण खड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 है,

(2) ये अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) 'समुचित प्राधिकारी' से संबंधित सरकारी सेवक का सरकारी दौरे का अनुमोदन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'सरकारी सेवक' से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवारत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'कुटुम्ब' का सदस्य से माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी अभिप्रेत है;

(ङ) 'यात्री' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी टिकट पर या किसी विधिमान्य पास पर यात्रा कर रहा हो;

(च) 'आरक्षित टिकट' से वह यात्रा टिकट अभिप्रेत है जिस पर कोई बर्थ या सीट आरक्षित की गई है—

(छ) उन शब्दों या पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं,

3. (1) उप नियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाए कोई बर्थ या कोई सीट जो किसी व्यक्ति के नाम में आरक्षित की गई हो केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगी।

(2) किसी रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल कर्मचारी, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी यात्री जिसके नाम में कोई सीट या बर्थ आरक्षित के नाम परिवर्तन की अनुज्ञा कर सकेगा: अर्थात्—

(क) जहां यात्री कर्त्तव्य पर जा रहा कोई सरकारी सेवक है और समुचित प्राधिकारी ट्रेन के नियत प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित में यह अनुरोध करे कि सरकारी सेवक के नाम में किया गया आरक्षण कर्त्तव्य पर जा रहे अन्य सरकारी सेवक के नाम में अंतरित कर दिया जाए ;

(ख) जहां यात्री ट्रेन के नियत प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित में यह अनुरोध करे कि उसके नाम में किया गया आरक्षण उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य को अन्तरित कर दिया जाए ;

(ग) जहां यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था के छात्र हों और संस्था का प्रधान ट्रेन के नियत प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में यह अनुरोध करे कि किसी छात्र के नाम में किया गया आरक्षण उसी संस्था के अन्य किसी छात्र को अन्तरित कर दिया जाए;

परन्तु परिवर्तन के लिए कोई उक्त अनुरोध केवल एक बार मंजूर किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में समूह की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(घ) जहां यात्री किसी विवाह पार्टी में सदस्य हों और कोई व्यक्ति जो उक्त पार्टी का प्रधान माना गया हो ट्रेन के नियत प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में यह अनुरोध करे कि विवाह पार्टी के किसी सदस्य के नाम किए गए आरक्षण का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाए;

परन्तु परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध केवल एक बार मंजूर किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में समूह की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा ।

[सं. 89/डी सी 1/20/पी]
एस. के. मलिक, संयुक्त निदेशक (आर ए आर)

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1990

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of subsection (2) of Section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 22 of the general clauses Act 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules namely;

1. Short title and commencement :—(i) These rules may be called Passengers (Change of Names) Rules 1990.

(ii) They shall come into force on the date of the commencement of the Act;

2. Definitions :—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Railways Act 1989 (24 of 1989);

(b) 'appropriate authority' means an authority approving the official tours of the Government servant concerned;

(c) 'Government servant' means any person serving under the Central or State Government;

(d) 'member of the family' means father, mother, brother, sister, son, daughter, husband or wife;

(e) 'passenger' means a person travelling on a ticket or on a valid pass;

(f) 'reserved ticket' means a journey ticket on which a berth or seat has been reserved;

(g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

3. (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2) a berth or a seat reserved in the name of a person shall be used only by that person and shall not be transferable to any other person.

(2) Any railway servant authorised in this behalf by a railway administration may permit the change of name of a passenger having a seat or berth reserved in his name in the following circumstances, namely :—

(a) Where the passenger is a Government servant proceeding on duty and appropriate authority makes a request in writing 24 hours before the scheduled departure of the train that the reservation made in the name of the Government servant be transferred to another Government servant proceeding on duty;

(b) Where the passenger makes a request in writing 24 hours before the scheduled departure of the train that the reservation made in his name be transferred to another member of his family;

(c) Where the passengers are students of a recognised educational institution and the Head of the institution makes a request in writing 48 hours before the scheduled departure of the train, that the reservation made in the name of any student be transferred to any other student of the same institution;

Provided that any such request for change shall be granted only once;

Provided further that in no case such request for change in excess of ten per cent of the total strength of the group shall be granted:

(d) Where the passengers are members of a marriage party and any person deemed to be the Head of such party, makes a request in writing 48 hours before the scheduled departure of the tarin that the reservation made in the name of any member of the marriage party be transferred to any other person;

Provided that any such request for change shall be granted only once;

Provided further that in no case such request for change in excess of ten per cent of the total strength of the group shall be granted.

[No. 89|TGI|20|P]

S. K. MALIK, Jt. Director (RAR)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990